संख्या- 292/2022/1068/41-2022-07 (जि0यो0)/2021

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 12 मई, 2022**

विषयः- जनपद लखनऊ में आई0टी0आई0 कालेज अलीगंज के समीप स्थित हनुमान मंदिर में पर्यटन विकास परियोजना को निरस्त किये जाने तथा अवमुक्त धनराशि को राजकोष में जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-423/7-1-1/(जि0यो0)/मू0पत्रा0 -3/2021-22 , दिनांक 22 अप्रैल, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि स्वीकृत योजना के प्राविधानित कार्य मंदिर समिति द्वारा पूर्व में सम्पादित कराये जा चुके है जिस कारण प्रश्नगत योजना को निरस्त किये जाने तथा अवमुक्त धनराशि ब्याज सहित राजकोष में जमा कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-644/2021/आई/116046/41-1002(001)/136/2021-07(जि0यो0)/2021, दिनांक24 नवम्बर, 2021 द्वारा जनपद लखनऊ में आई0टी0आई0 कालेज अलीगंज के समीप स्थित हनुमान मंदिर में पर्यटन विकास कार्य की स्वीकृत परियोजना को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया तदनुसार शासनादेश दिनांक24 नवम्बर, 2021 द्वारा अवमुक्त की गयी कुल धनराशि रू0 5.00 लाख (रूपये पांच लाख मात्र) की धनराशि को ब्याज सहित नियमानुसार राजकोष में जमा कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नंलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य क कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 (यूपीपीसीएल), लखनऊ।
9- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 (यूपीपीसीएल), लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, लखनऊ एवं कानपुर मण्डल, लखनऊ।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in